

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

85

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नालंदा (बिहारशरीफ)।

पटना, दिनांक :- 13-1-16

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2692 दिनांक-27.8.15 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके वैध आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	नालंदा (बिहारशरीफ)	02	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	200000/-	श्रम अधीक्षक क०श्र० नालंदा(बिहारशरीफ) के पत्रांक-585 दिनांक-14.12.15 के आलोक में (1) स्व० बहरदूर रविदास, आश्रित मसो० अंजु देवी (पत्नी) ग्राम-नेरूत, थाना-सारे, प्रखण्ड-अस्थावाँ, जिला-नालंदा एवं (2) स्व० टेनी पासवान आश्रित-मसो० मधु देवी(पत्नी) ग्राम-अखर बिगहा, पो०-देशना, थाना- अस्थावाँ, जिला-नालंदा के भुगतान हेतु।
कुल योग		02		200000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख) मात्र ।

- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली,2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वसभाजन,

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार।

12/01/16

ज्ञापांक-6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

85

पटना, दिनांक

13-1-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार।

12/01/16 107

***स्पीड पोस्ट**

ज्ञापांक- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

85

पटना, दिनांक

13.1.16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/
***जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/उप श्रमायुक्त, पटना/श्रम अधीक्षक,(क.श्र.) नालन्दा /आई०टी०मैनेजर,**
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01(श्रम पक्ष) को
उनके गै०स०प्रे०सं०-06 (श्रमपक्ष) दिनांक-06.01.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार।
12/01/16

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	स्थिति
1	प्रमाण-पत्र प्राप्त	06.01.16	संभाला
2	प्रमाण-पत्र जारी	12.01.16	संभाला
3	प्रमाण-पत्र वापस	13.01.16	संभाला